न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 निगरानी

1. श्रीमती हीरामणि पत्नी श्री शिवशंकर पाण्डेय
2. श्रीमती रोशनजहां पत्नी निजाम खाँ समस्त निवासीगण–तह.राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

.......**निगरानीकर्ता**

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह.राजनगर,जिला छतरपुर म.प्र.

...........**रेस्पोन्डेन्ट्स**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 20/अ–89अ(13)/10–11 में आदेश दिनांक 17.08.2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के याचिका क्रमांक 15208/2011 के आदेश दिनांक 02.09.2016 के पालन में।

श्रीमानजी,

सेवा में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मोजा राजनगर की भूमि खसरा नम्बर 2259/1, 2260/1, 2261/2, 2263/2, 2264/1, 2265/1/क/1, 2271/1, 2265/1/क/5, 2262/2 कुलकिता 9 रकवा 0.879 हैक्टेअर एवं खसरा नम्बर 2261/1, 2265/1/क/4, 2271/2/1 कुलकिता 3 रकवा 0.203 हैक्टेअर का खाता राजस्व रिकॉर्ड में निगरानीकर्तागण के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा उक्त भूमि से संबन्ध में श्रीमान न्यायालय

.(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3371/ I/2016 निगरानी — जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –10–2016	आवेदिकागण की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी.भटनागर द्वारा यह निगरानी सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 20/अ–89अ(13)/10–11 में पारित आदेश दिनांक 17–8–2011 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा संहिता 1959 की धारा 172(1) का उल्लधंन होने से आवेदिका की भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका कमांक 15208/2011 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2–9–2016 को माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। जिसके पालन में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह तर्क दिया गया कि, विचाराधीन प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2259/1, 2260/1, 2261/2, 2263/2, 2264/1, 2265/1/क/1, 2271/1, 2265/1/क/5, 2262/2 कुल किता 9 एकत्र रकवा 0.879 हैक्टर एवं खसरा नबंर 2261/1, 2265/1/क/4, 2271/2/1 कुल किला 3 रकवा 0.203 हैक्टर स्थित मौजा राजनगर, जिला छतरपुर पटवारी हल्का नंबर 32 का मालिक भूमि स्वामी आधिपत्यधारी आवेदिकागण है उनके द्वारा यह भूमि खातेदार ठाकुरदास पिता	

गोरेलाल कुम्हार निवासी राजनगर, से रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 669 दिनांक 4–9–2010 को कय की थी। पटवारी राजनगर ने दिनांक 5–2–2011 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किय गया कि खसरा नंबर 2259/1, 2260/1, 2261/2, 2263/2, 2264/1, 2265/1/क/1, 2271/1, 2265/1/क/5, 2262/2 कुल किता 9 एकत्र रकवा 0.879 हैक्टर एवं खसरा नबंर 2261/1, 2265/1/क/4, 2271/2/1 कुल किला 3 रकवा 0.203 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदिकागण द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन से हटाकर उसे समतल कर एवं मौके पर कच्वी रास्ता बनाकर आवासीय उपयोग में करने का प्रयास किया जा कर अवैध कालौनी बनाई जा रही है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–2–2011 को कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया जाकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया गया है। व भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेते हुए आदेश दिनांक 17–8–2011 पारित किया गया साथ ही दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 17–8–2011 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को प्रकरण में साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन व पंचनामा को प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार पटवारी की साक्ष्य को आधार बनाते हुए प्रकरण में कार्यवाही की गई है। जो विधि विरूद्ध है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अ में सबूत का भार– यह भार सरकार पर है कि वह साबित करें कि धारा 59(1) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है। सबूत का यह भार पटवारी के कथन से पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि, माननीय उच्च न्यायालय ने भी न्याय द्वष्टान्त आर0 एन0 1994 पेज 192 ब्रजभूषण मोदी बनाम म.प्र.राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तव में डायवर्सन कब किया गया, यह देखा जाना चाहिए। उपपंजीयक द्वारा जो

विकय सूची पेश की गई थी उसके अनुसार केतागण को भी पक्षकार बनाते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अतं में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर आवेदकगण के पक्ष में भूमि का समतलीयकरण करने एवं उनके हित में भूमि विकास निस्तार करने का अधिकार प्रदान करते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

3— अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदिकागण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ—89अ(13)/10—11 में पारित आदेश दिनांक 17—8—2011 से एवं प्रकरण में जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 8—2—2011 अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा इश्तहार दिनांक 30—5—2011 एवं पटवारी के लिए कथन दिनांक 22—7—2011 एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 20/अ—89अ(13)/10—11 की आदेश पत्रिका दिनांक 17—8—2011, नक्शा, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा जो इश्तहार दिनांक 30—5—2011 को जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लेख है कि संहिता 1959 की धारा 172(1) का उल्लंधन कर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 17—8—2011 में लेख किया है कि हल्का पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनावेदिका द्वारा कॉलोनाइजर का लायसेंस प्राप्त किये बिना भूमि का डायवर्सन कराये बिना कार्य करने का इश्तहार जारी किया है। किन्तु इसके विपरीत आवेदिका द्वारा दिये गये आवेदन दिनांक 16—8—2011 से पाया जाता है कि यह आवेदन वास्ते साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने के संबंध

गोरेलाल कुम्हार निवासी राजनगर, से रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 669 दिनांक 4–9–2010 को कय की थी। पटवारी राजनगर ने दिनांक 5–2–2011 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किय गया कि खसरा नंबर 2259/1, 2260/1, 2261/2, 2263/2, 2264/1, 2265/1/क/1, 2271/1, 2265/1/क/5, 2262/2 कुल किता 9 एकत्र रकवा 0.879 हैक्टर एवं खसरा नबंर 2261/1, 2265/1/क/4, 2271/2/1 कुल किला 3 रकवा 0.203 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदिकागण द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन से हटाकर उसे समतल कर एवं मौके पर कच्ची रास्ता बनाकर आवासीय उपयोग में करने का प्रयास किया जा कर अवैध कालौनी बनाई जा रही है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–2–2011 को कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया जाकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया गया है। व भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेते हुए आदेश दिनांक 17–8–2011 पारित किया गया साथ ही दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 17–8–2011 से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को प्रकरण में साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन व पंचनामा को प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार पटवारी की साक्ष्य को आधार बनाते हुए प्रकरण में कार्यवाही की गई है। जो विधि विरूद्ध है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अ में सबूत का भार– यह भार सरकार पर है कि वह साबित करें कि धारा 59(1) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है। सबूत का यह भार पटवारी के कथन से पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि, माननीय उच्च न्यायालय ने भी न्याय द्वष्टान्त आर0 एन0 1994 पेज 192 ब्रजभूषण मोदी बनाम म.प्र.राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तव में डायवर्सन कब किया गया, यह देखा जाना चाहिए। उपपंजीयक द्वारा जो

में दिया था जिसमें लेख किया गया था कि विवादित भूमि का डायवर्सन प्रकरण कमांक 125/अ–2/2010–11 दिनांक 29–1–2011 द्वारा किया जा चुका है। अतएव अनावेदिका को साक्ष्य सबूत सुनवाई का विधिवत अबसर पेश किये जाने का अबसर दिया जावें। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण दिनांक 12–8–2011 को लिया जाकर तर्क हेतु दिनांक 16–8–2011 को नियत किया गया व दिनांक 16–8–2011 को यह लेख किया है कि विद्वान अभिभाषक चाहे तो ओदश के पूर्व लिखित तर्क पेश कर सकते है और प्रकरण 17–8–2011 के लिये नियत किया व दिनांक 17–8–2011 को आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार आवेदिकागण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। प्रकरण में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कि क्या विवादित भूमि का डायवर्सन किया गया है, किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि भूमि का डायवर्सन संहिता 1959 की धारा 172 के तहत निर्धारित किया जाता है। और यदि एक बार इस संबंध में कोई आदेश हो चुका है तो संहिता की धारा 51 के तहत क्या उसके पुर्नविलोकन की कार्यवाही की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही प्रकरण में किया जाना नहीं पाया जाता है।

5– उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2011 निरस्त किया जाता है एवं आवेदिकागण के नाम की प्रविष्टि खसरे में अंकित की जाकर, आवेदिकागण को भूमि का समतलीयकरण करने का अधिकार देते हुए निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर